विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2011

संख्या: एल० एल०—आर०—डी०(६)—16/2011.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21—9—2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 8) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 34 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

धाराओं का क्रम

धाराः

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
- 2. परिभाषाएं।
- 3. राज्य सरकार द्वारा सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा की अधिसूचना।
- 4. नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार।
- 5. नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- 6. अपील।
- 7. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य।
- ८. शास्ति।

- 9. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
- 10. अधिकारिता का वर्जन।
- 11. नियम बनाने की शक्ति।
- 12. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

2011 का अधिनियम संख्यांक 34

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 21 सितम्बर, 2011 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों के लिए नियत समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 है।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
 - 2. परिभाषाएं.-इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
 - (क) ''पदाभिहित अधिकारी'' से धारा 3 के अधीन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस रूप में अधिसूचित अधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ख) ''पात्र व्यक्ति ''से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अधिसूचित सेवाओं के लिए पात्र है;
 - (ग) ''प्रथम अपीलीय प्राधिकारी'' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;
 - (घ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
 - (ङ) ''राजपत्र'' से राजपत्र,हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
 - (च) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

- (छ) ''सेवा का अधिकार '' से धारा 4 के अधीन नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत हैं;
- (ज) "सेवा " या " लोक सेवा " से धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा अभिप्रेत है;
- (झ) ''द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी'' से राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;
- (ञ) "राज्य सरकार "से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ट) ''नियत समय सीमा'' से धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा उपलब्ध करवाने या अपीलीय प्राधिकारिओं द्वारा अपील का विनिश्चय करने की अधिकतम समय सीमा अभिप्रेत है; और
- (ठ) ''राज्य सूचना आयोग'' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है।
- 3. राज्य सरकार द्वारा सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा की अधिसूचना.—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय—समय पर सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय सीमा अधिसूचित कर सकेंगी।
- 4. नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार.—पदाभिहित अधिकारी नियत समय सीमा के भीतर, सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा उपलब्ध करवाएगा।
- 5. नियत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करवाना.—(1) नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी द्वारा अधिसूचित सेवा के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से या ऐसे आवेदनों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत उसके अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से प्रारम्भ होगी और ऐसा आवेदन उस द्वारा सम्यक् रूप से अभिस्वीकृत किया जाएगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर पदाभिहित अधिकारी, नियतसमय सीमा के भीतर या तो सेवा उपलब्ध करवाएगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा और आवेदन को अस्वीकार करने की दशा में कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा तथा आवेदक को सूचित करेगा।
- (3) जब उपधारा (2) के अधीन आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो पदाभिहित अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को निम्न प्रकार से संसूचित करेगा,—
 - (i) ऐसी अस्वीकृति के कारण;
 - (ii) अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी; और
 - (iii) अपीलीय प्राधिकारी की विशिष्टियां।

- (4) यदि पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।
- 6. अपील.—(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया गया है या जिसे नियत समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, यथास्थिति, आवेदन को अस्वीकार करने की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर या नियत समय सीमा के अवसान के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी किसी अपील को तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

- (2) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने के आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकेगा।
- (3) उप धारा (1) के अधीन अपील का,यथास्थिति, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो इसके दाखिल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन की कुल अवधि से अधिक न हो, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, निपटारा किया जाएगा।
- (4) यदि पदाभिहित अधिकारी उपधारा (2) के अधीन सेवा उपलब्ध करवाने के आदेश की अनुपालना नहीं करता है, तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को द्वितीय अपील दायर कर सकेगा।
- 7. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य.—(1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन विनिश्चिय के विरुद्ध द्वितीय अपील विनिश्चय की तारीख से साठ दिन के भीतर पदाभिहित द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को की जा सकेगी:

परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अपील को साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा यदि उसका सामाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि, जैसी वह विनिर्दिष्ट कर सकेगा, के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने का आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकेगाः

परन्तु सेवा उपलब्ध करवाने के आदेश के अतिरिक्त, वह धारा 8 के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(3) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को इस धारा के अधीन कार्यवाहियों का संचालन करते समय वही शक्तियां होंगी, जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है।

- (4) किसी भी अपील की कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध का प्रत्याख्यान न्यायोचित था उस पदाभिहित अधिकारी पर होगा जिसने आवेदन का प्रत्याख्यान किया है या नियत समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करवाने में असफल रहा है।
- 8. शास्ति.—(1) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी सेवा उपलब्ध करवाने में असफल रहा है या उसने पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने में विलम्ब किया है, तो वह एक मुश्त शास्ति, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, अधिरोपित कर सकेगाः

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस के विरूद्ध शास्ति का कोई आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति से अपीलार्थी को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम देने का आदेश कर सकेगा, परन्तु ऐसे प्रतिकर की रकम अधिरोपित शास्ति की रकम से अधिक नहीं होगी:

परन्तु पदाभिहित अधिकारी पर सेवा को उपलब्ध करवाने में किए गए विलम्ब के लिए या सेवा उपलब्ध करवाने से इन्कार करने के लिए इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, ऐसे अधिकारी द्वारा वैयक्तिक हैसियत में वहन की जाएगी न कि राज्य सरकार के कृत्यकारी के रूप में, जब तक कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अन्यथा निदेश न देः

परन्तु यह और कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को सुनने के पश्चात् शास्ति की रकम को पदाभिहित अधिकारी और किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों) जो सेवा को उपलब्ध करवाने में ऐसे इन्कार या विलम्ब में सहभागी पाए जाते हैं, के बीच प्रभाजित कर सकेगा।

- 9. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।
- 10. अधिकारिता का वर्जन.—इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है,उसके सिवाय पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश किसी न्यायालय द्वारा या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
- 11. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार,इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, इनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अविध के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के

जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलिकरण उनके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

12. कितनाइयां दूर करने की शक्ति.—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कितनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम से असंगत न हो, उस कितनाई को दूर कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICES GUARANTEE ACT, 2011

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

- 1. Short title, extent and commencement.
- 2. Definitions.
- 3. Notification of services, designated officers, first appellate authority, second appellate authority and stipulated time limits by the State Government.
- 4. Right to obtain service within stipulated time limit.
- 5. Providing services in stipulated time limit.
- 6. Appeal.
- 7. Powers and functions of second appellate authority.
- 8. Penalty.
- 9. Protection of action taken in good faith.
- 10. Bar of jurisdiction.
- 11. Power to make rules.
- 12. Power to remove difficulties.

Act No. 34 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICES GUARANTEE ACT, 2011

(As Assented to by the Governor on 21st September, 2011)

ACT

to provide for the delivery of services to the people of the State of Himachal Pradesh within the stipulated time limit and for the matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

- **1. Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.
 - **2. Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "designated officer" means an officer notified as such for providing the services under section 3;
 - (b) "eligible person" means person who is eligible for the notified services;
 - (c) "first appellate authority" means an officer who is notified as such under section 3:
 - (d) "notification" means a notification published in the Official Gazette;
 - (e) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;
 - (f) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
 - (g) "right to service" means right to obtain the service within the stipulated time limit under section 4;
 - (h) "service" or "public service" means any service notified under section 3;
 - (i) "second appellate authority" means the State Information Commission notified as such under section 3;
 - (j) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;
 - (k) "stipulated time limit" means maximum time to provide the service by the designated officer or to decide the appeal by the appellate authorities as notified under section 3; and

- (1) "State Information Commission" means the State Information Commission constituted under sub-section (1) of section 15 of the Right to Information Act, 2005. (22 of 2005).
- 3. Notification of services, designated officers, first appellate authority, second appellate authority and stipulated time limits by the State Government.—The State Government may, from time to time, notify the services, designated officers, first appellate authority, second appellate authority and stipulated time limits for the purpose of this Act.
- **4. Right to obtain service within stipulated time limit.**—The designated officer shall provide the service notified under section 3 to the person eligible to obtain the service, within the stipulated time limit.
- 5. Providing services in stipulated time limit.— (1) Stipulated time limit shall start from the date of receipt of application for notified service by the designated officer or the person subordinate to him authorized to receive such applications and such application shall be duly acknowledged by him.
- (2) The designated officer on receipt of an application under sub-section (1) shall, within the stipulated time limit, either provide service or reject the application and in case of rejection of application, shall record the reasons in writing and intimate to the applicant.
- (3) Where a request has been rejected under sub-section (2), the designated officer, shall communicate to the person making the request,—
 - (i) the reasons for such rejection;
 - (ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and
 - (iii) the particulars of the appellate authority.
- (4) If the designated officer does not comply with sub-section (1), then the applicant aggrieved from such non-compliance may appeal to the first appellate authority.
- **6. Appeal.**—(1) Any person, whose application is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided the service within the stipulated time limit, may file an appeal to the first appellate authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit, as the case may be:

Provided that the first appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The first appellate authority may order the designated officer to provide the service within the specified period or may reject the appeal.

- (3) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total period of forty-five days from the date of filling thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing.
- (4) If the designated officer does not comply with the order of providing the service under sub-section (2), then the applicant aggrieved from such non-compliance may file a second appeal to the second appellate authority.
- **7. Powers and functions of second appellate authority.** (1) A second appeal against the decision under sub- section (2) of section 6 shall lie within sixty days from the date of decision to the second appellate authority:

Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of sixty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The second appellate authority may order the designated officer to provide the service within such period as he may specify or may reject the appeal:

Provided that in addition to order to provide service, he may impose penalty under section 8.

- (3) The first appellate authority and the second appellate authority shall, while conducting proceedings under this section have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908. (5 of 1908).
- (4) In any appeal proceedings, the onus to prove that denial of a request was justified shall be on the designated officer, who denied the request or failed to provide the services within stipulated time limit.
- **8. Penalty.**—(1) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide service or has caused delay in providing such service without sufficient and reasonable cause, then he may impose a lump sum penalty which shall not be less than one thousand rupees but not more than five thousand rupees:

Provided that the designated officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any order of penalty is passed against him.

(2) The second appellate authority may order to give any amount as compensation to the appellant from out of the penalty imposed under this section, but the amount of such compensation shall not exceed the amount of penalty imposed:

Provided that any penalty imposed under this section on the designated officer for delay in providing the service or refusal to provide service shall be borne by such officer in personal capacity but not as a functionary of the State Government unless the second appellate authority directs otherwise:

Provided further that the second appellate authority may, after hearing the designated officer, apportion the amount of penalty amongst designated officer and any other officer(s) as may be found to have contributed to such denial or delay in providing the service.

- (3) If the second appellate authority is satisfied that the designated officer has failed to discharge the duties under this Act, without sufficient and reasonable cause, then it may also recommend to the appointing or disciplinary authority of the designated officer that disciplinary action under the applicable service rules be also initiated against such officer.
- **9. Protection of action taken in good faith.**—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.
- **10. Bar of jurisdiction.**—Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by designated officer, first appellate authority or second appellate authority shall not be called in question by any court or before any officer or authority.
- 11. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.
- (2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session, in which it is so laid or successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
- 12. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.